निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 88/2025
दायरा दिनांकः–23.09.2025
निर्णय दिनांकः– 4.11.25

उनवान

1. रामगोपाल आयु 58 वर्ष आत्मज रामचन्द्र जाति चमार (ऐरवाल) निवासी ग्राम बिशनखेडाचैना हाल निवासी खेडली भादोल्या मांगरोल रोड तहसील बारां जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश गालव – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल बिशनखेड़ाचेना पटवार हल्का पाली तहसील छबड़ा जिला बारां की भूमि खाता संख्या 111 खसरा संख्या 10 रकबा 0.2656 हैक्टयर है। खसरा संख्या 12 रकबा 0.1391 हैक्टयर, खसरा नम्बर 130/3 रकबा 0.4553 हैक्टयर, खसरा संख्या 131 रकबा 0.4679 हैक्टयर, खसरा संख्या 235 रकबा 0.0126 हैक्टयर, खसरा संख्या 44 रकबा 0.1138 हैक्टयर, खसरा संख्या 45 रकबा 0.0885 हैक्टयर, खसरा संख्या 87 रकबा 0.0379 हैक्टयर, कुल खसरे 8 कुल रकबा 1.5807 हैक्टयर, इसी प्रकार खाता संख्या 112 खसरा संख्या 400/4 रकबा 1. 2646 हैक्टयर, जिसमे प्रार्थी के स्वर्गीय पिता रामचन्द्र का हिस्सा 1/6 दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियात प्रार्थी की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। बाद पत्र की मद नम्बर में वर्णित आराजीयात के खातेदार एव प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रामचन्द्र के पिता का नाम खाता संख्या 111 व 112 मे बोलता नाम बृज्या दर्ज हो रहा है। जो गलत है। जबकि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र बृज्या उर्फ विरजीलाल है। प्रार्थी के पिता रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06/06/2019 में हो चुकी है। और प्रार्थी अपने पिता रामचन्द्र के स्थान पर उनके जायज एव वैद्य वारिसान के नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

न्तरण खुलवाना चाहता है। परन्तु प्रार्थी के स्वर्गीय पिता रामचन्द्र के पिता एव प्रार्थी दादा बृज्या उर्फ बिरजीलाल का नाम प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूमियात मे बृज्या दर्ज होने के कारण नामान्तरण नही हो सका। जिसके कारण प्रार्थी एवं अन्य शेष वारिसान को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सके है। प्रार्थी वैधानिक रूप से खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। खातेदारी में प्रार्थी के दादा का दर्ज नाम बृज्या घर मे बोलता नाम है। एंव दस्तावेजी नाम बिरजीलाल है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त गलती को दुरूस्त नहीं किया गया तो प्रार्थी व अन्य वारिसान को अपने पैतृक साम्पत्तिक अधिकारो से वचित होना पड़ेगा। तहसीलदार एंव पटवारी हल्का पाली की रिपोर्ट दिनांक 20/05/2025 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। 6. उक्त लिपिकीय गलती के कारण प्रार्थी को पैतृक भूमियात पर खातेदारी अधिकार नही मिल सके। जिसके कारण प्रार्थी को केन्द्रीय/राज्य सरकार की योजनाओ का लाभ नही मिल रहा है। जिसके कारण प्रार्थी अपनी उक्त भूमियात को उन्नत करने में असक्षम है। न तो प्रार्थी को के.सी.सी नही मिल रही है, एंव राज्य सरकार द्वारा समय समय पर फसल खराब के दिये गये मुआवजो से भी वंचित रह रहा है, और ना ही प्रार्थी विद्युत कनेक्शन ले पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट/जवाब प्राप्त हुई प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 111 नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 112 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र, आधार कार्ड, रामचन्द्र पुत्र बरुध्यालाल मृत्यु प्रमाण पत्र रामचन्द्र पुत्र बिरजीलाल दिनांक 08.09.2020 पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि ग्राम बिशनखेडाचैना तहसील छबडा के खाता संख्या 111 के खसरा नम्बर 10 रकबा 0.2656 है0 खसरा नम्बर 12 रकबा 0.1391 है0 खसरा नम्बर 130/3 रकबा 0.4553 है0 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.4679 है0 खसरा नम्बर 235 रकबा 0.0126 है0 खसरा नम्बर 44 रकबा 0. 1138 है0 खसरा नम्बर 45 रकबा 0.0885 है0 खसरा नम्बर 87 रकबा 0.0379 है0 कुल खसरा नम्बर 8 रकबा 1.5807 है0 इसी प्रकार खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 400/4 रकबा 1.2646 है0 जिसमें प्रार्थी के स्वर्गीय पिता रामचन्द्र का हिस्सा 1/6 दर्ज है विवादित भूमि प्रार्थी की पैत्रक सम्पत्ति है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय के काबिज काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के स्वर्गीय रामचन्द्र के पिता का नाम खाता संख्या 111 व 112 में बोलता नाम बृज्या दर्ज हो रहा है जो गलत है जबकि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता का वास्तविक नाम रामचन्द्र पुत्र बृज्या उर्फ बिरजीलाल है। प्रार्थी के पिता रामचन्द्र की मृत्यु दिनांक 06.06.2019 को हो चुकी प्रार्थी अपने पिता रामचन्द्र के स्थान पर उनके जायज वारिसान के नाम नामान्तरण खुलवाना चाहता है। प्रार्थी के दादा बृज्या उर्फ बिरजीलाल का नाम बृज्या गलत दर्ज होने के कारण नामान्तरण नही हो सका। प्रार्थी अपने दादा का नाम बृज्या के स्थान पर बिरजीलाल दर्ज कराने का अधिकारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
472 छबड़ा (बारां)

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बिशनखेडाचैना के खाता संख्या 111,112 में खातेदार रामचन्द्र पुत्र बृज्या दर्ज है एवं खाता संख्या 113 मं खातेदार का नाम रामचन्द्र पुत्र पाना दर्ज है खाता संख्या 113 में दर्ज भूमि आवंटन से मिली है जिसमें रिकार्ड की जॉच की गई रिकार्ड में नामान्तरण संख्या 364 से खातेदारी प्राप्त हुई जिसमें खातेदार का नाम रामचन्द्र पुत्र पाना जाति चमार ही दर्ज है प्रार्थी रामचन्द्र पुत्र बृज्या एवं रामचन्द्र पुत्र पाना को बृज्या उर्फ बिरजीलाल कराना चाहतें है जिसकी ग्राम वासियों से पूछताछ की गई जिसमें ग्राम वासियों ने बताया कि प्रार्थी के पिता का नाम बृज्या उर्फ बिरजीलाल बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बिशनखेडाचैना खाता संख्या 111 व 112 में रामचन्द्र पुत्र बृज्या हिस्सा 1/6 जाति चमार दर्ज है आधार कार्ड रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र एवं आधार कार्ड रामचन्द्र पुत्र बरध्यालाल दर्ज है मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 08.09.2020 मं मृतक रामचन्द्र के पिता का नाम बिरजीलाल दर्ज है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट में रामचन्द्र के पिता का नाम बृज्या व बिरजीलाल होना बताया है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के दादा का नाम बृज्या उर्फ बिरजीलाल था प्रार्थी अपने दादा का नाम बृज्या के स्थान पर बृज्या उर्फ बिरजीलाल दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 113 में नाम दुरूस्ती की कोई आनुतोष नही चाही गई है प्रार्थी केवल खाता संख्या 111 व 112 में दादा के नाम को सही कराने का अनुतोष चाहा है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास हो चुका है दादा का नाम गलत दर्ज होने से खातेदार रामचन्द्र का उनके वारिसान के नाम फोती नामान्तरण दर्ज नही हो पा रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खाता संख्या 111 व 112 में प्रार्थी के दादा का नाम बृज्या के स्थान पर बृज्या उर्फ बिरजीलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम बिशनखेडाचैना तहसील छबडा के खाता संख्या 111 के कुल खसरा नम्बर 8 किता रकबा 1.5807 है0 खाता संख्या 112 के खसरा नम्बर 400/4 रकबा 1.2646 है0 में दर्ज रामचन्द्र पुत्र बृज्या के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र बृज्या उर्फ बिरजीलाल दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा